B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)
BA (Hons) Part-1 पेपर-I
Date 11-7-20
Dr Manoj Kumar sah
Deptt of Pol-Sci

संप्रभुता

प्रभुसत्ता को हिन्दी में राजसत्ता अथवा संप्रभुता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका समानार्थी कहा जाता जो लैटिन भाषा के 'सुप्रेनस' शब्द से निकला है जिसका अर्थ सर्वोच्च होता है राजसत्ता या प्रभुसत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले तत्वों में से यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

प्रभुसत्ता के दो पहलू → प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है एक आन्तरिक और दूसरी बाहरी। आंतरिक प्रभुसत्ता का यह अर्थ है कि राज्य के अन्दर रहनेवाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएँ उनके राज्य के पूर्ण अधीन होती हैं यदि वे राज्य की आज्ञा का पालन न करें तो राज्य को उन्हें दण्ड देने का पूरा अधिकार होता है। इस विषय में प्रोफेसर हेरल्ड ने लिखा है, राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसे उनमें से कोई आदेश नहीं देता है उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं होता है। किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से ही वह उसका अधिकारी हो जाता है।

बाहरी प्रभुसत्ता का यह अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। प्रत्येक राज्य को व्यापारिक संधियाँ और सैनिक समझौता करने का पूर्ण अधिकार होता है प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपनी विदेश नीति किसी अन्य राज्य को उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अतः बाहरी राज्य ~~सम्प्रभुता~~ है। अतः यह अन्य राष्ट्रों के सामने स्वतंत्र होता है। वह उनको अपनी इच्छा बिना किसी बाहरी प्रभाव के बदल सकता है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य बाह्य और आन्तरिक रूप से पूर्ण प्रभुसत्ताधारी है